न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—जाकिर हुसैन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 38/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक शाखा—सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर जरिये श्री निर्मल सिंह संधू, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धंक, भारतीय स्टेट बैंक, रिटेल एस्सेट्स क्रेडिट केन्द्र, नगरपालिका रोड़ सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।

——प्रार्थी

विरूद्ध

1. मैसर्स D.R.S. ईंट उद्योग जरिये प्रो. श्रीमती रोशनी देवी पत्नि श्री लालचंद जाट निवासी चक—15 पीटीपी, किशनपुरा उतराद्धा, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।

——ऋणी

2. श्री लालचंद पुत्र श्री धन्ना राम निवासी गांव—किशनपुरा उतराद्धा, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
3. श्री कृष्ण लाल पुत्र श्री धन्ना राम निवासी गांव—किशनपुरा उतराद्धा, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
4. श्री भीम सैन पुत्र श्री शेर सिंह निवासी गांव—किशनपुरा उतराद्धा, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।

——जमानतीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

आदेश   दिनांकः—23.01.2020

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा—सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के वकील श्री अमीत कुमार को सुना गया। वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि बैंक ने अप्रार्थीगण को नकद साख ऋण सुविधा अप्रार्थीगण की अचल सम्पति—1. प्लॉट नम्बर जी/22 एव जी/23 का आधा हिस्सा, गांव किशनपुरा उतराद्धा, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़(राज.), (बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 40' गुणा 72'5''=2900 वर्गफुट) जो कि ऋणी श्रीमति रोशनीदेवी सहारण पत्नी श्री लालचंद के नाम से है तथा सम्पत्ति—2. प्लॉट नं. 03 सेक्टर नं. 01, स्टेशन रोड़ तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर(राज.) (बैंक में उपलब्ध

दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 13'3'' गुणा 120 वर्गफुट) जो कि जमानती–1. श्री लालचंद पुत्र श्री धन्नाराम 2. कृष्णलाल पुत्र श्री धन्ना राम और 3. श्री भीम सैन पुत्र श्री शेर सिंह के नाम से है, जिसके विरूद्ध दिनांक 12.12.2013 को रूपये 16,00,000/–(अखरे सौलह लाख रूपये मात्र) का ऋण भारतीय स्टेट बैंक शाखा–सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रदान किया था।

भारतीय स्टेट बैंक शाखा–सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अप्रार्थीगण को नकद साख ऋण सुविधा के तहत प्रदत ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज एवं खर्चों के अदा करने की गारन्टी के रूप में ऋणी से आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके सम्पति पर प्रतिभूति हित से साम्यक बंधक किया है।

अप्रार्थीगण के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा–सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर से ऋण की राशि प्राप्त करने के पश्चात अपने खाते को संतोषजनक तरीके से संचालित नहीं किया गया। अप्रार्थी ने माफिक इकरार किश्त एवं ब्याज की राशि समय पर जमा नहीं करवाने पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा–सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अप्रार्थीगण का खाता रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के दिशा–निर्देशानुसार गैर–निष्पादनीय आस्ति (NPA) के रूप में दिनांक 27.09.2018 को वर्गीकृत किया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा–सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर की बकाया रकम एवं ब्याज की राशि समय पर अदा नहीं किये जाने पर अप्रार्थीगण का ऋण खाता गैर–निष्पादनीय आस्ति (NPA) होने के पश्चात प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा–सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ने अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग नोटिस दिनांक 17.12.2018 अप्रार्थीगण को देते हुए बकाया रकम 16,93,151/–रूपये (अखरे सौलह लाख तिरानवे हजार एक सौ इक्यावन रूपये मात्र) दिनांक 17.12.2018 तक का (ब्याज दिनांक 16.12.2018 तक का) व आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चे अतिरिक्त मांग नोटिस मिलने से 60 दिन की अवधि में अदा करने का लिखा तथा इस नोटिस में यह भी लिखा कि अप्रार्थीगण द्वारा समयावधि में रकम अदा न किये जाने पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा–सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बकाया रकम की वसूली हेतु साम्यिक बंधकशुदा सम्पति से वसूल करेगा, जिसके तमाम हर्जे एवं खर्चे की जिम्मेवारी अप्रार्थीगण की होगी। मांग नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीगण ने भारतीय स्टेट बैंक शाखा–सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर को बकाया रकम न तो अदा की और न ही नोटिस का कोई जबाव दिया।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा–सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अप्रार्थीगण को एक नोटिस अधिनियम 2002 की धारा 13 (4) के अन्तर्गत दिनांक 05.03.2019 को प्रेषित किया जिसमें साम्यिक बंधकसुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा–सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर को सुपुर्द करने का लिखा। अप्रार्थीगण इसके बावजूद भी ऋण की पूर्ण अदायगी प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा–सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के समक्ष जमा नही करवायी गयी है और न ही साम्यिक बंधकशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा–सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर को सुपुर्द किया है। इस संबंध में बैंक द्वारा अपना शपथ पत्र भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया है। प्रार्थी बैंक के पास साम्यिक बंधकशुदा अचल सम्पति–1 प्लॉट नम्बर जी/22 एवं जी/23 का आधा हिस्सा, गांव किशनपुरा उतराद्धा, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़ राज. (बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 40' गुणा 72'5'' = 2900 वर्गफुट) जो कि ऋणी श्रीमति रोशनीदेवी सहारण पत्नी श्री लालचंद के नाम से है जिसका भौतिक कब्जा बैंक को दिलाये जाने तथा कानून व्यवस्था बनाये हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद मुहैया कराये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा–सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। ऋणी एवं जमानती द्वारा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत ऋणी एवं जमानती को नोटिस दिनांक 17.12.2018 भिजवाया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी ऋणी एवं जमानती द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा भारतीय स्टेट बैंक के शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ऋणी द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के एवज में भारतीय स्टेट बैंक के पास बंधकशुदा उक्त अचल सम्पति–1. प्लॉट नम्बर जी/22 एवं जी/23 का आधा हिस्सा, गांव किशनपुरा उतराद्धा, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़(राज.), (बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 40′ गुणा 72′5″ = 2900 वर्गफुट) जो कि ऋणी श्रीमति रोशनीदेवी सहारण पत्नी श्री लालचंद के नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ एवं प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 23.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़